

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक:एफ. 1969 सीसी/स्वा.का.पु./2019/

दिनांक :

आदेश

श्री अजीज मोहम्मद नीलगर, स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पु.), कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी राशमी जिला चित्तोडगढ़ को दिनांक 26.07.2019 से 06.09.2019 तक हज यात्रा पर भ्रमण हेतु स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :—

- कार्मिक विदेश जाने से पूर्व सक्षम स्तर से वांछित अवधि का अवकाश स्वीकृत करवाकर प्रथान करेंगे तथा स्वीकृत अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जावेगी।
- विदेश जाने हेतु किसी प्रकार का वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
- अवकाश समाप्ति के पश्चात ड्यूटी पर अविलम्ब उपस्थित होंगे।
- विदेश में किसी प्रकार का रोजगार एवं नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे।
- विदेश प्रवास के दौरान राज्य सेवा से त्याग पत्र एवं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।
- राष्ट्र विरोधी गतिविधि में सम्मिलित नहीं होंगे।

३०
(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर

क्रमांक:एफ. 1969 सीसी/स्वा.का.पु./2019/884

दिनांक : 17/7/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

- उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजो जयपुरको माइ.डि.ड., 1255 फि. 11.7.19/
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तोडगढ़।
- खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी राशमी जिला चित्तोडगढ़।
- श्री अजीज मोहम्मद नीलगर, स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पु.) को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- प्रभारी सर्वर रुम, कमरा नं. 302, मुख्यालय, को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
- आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर